न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या 2024/062
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बलराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी दुलापरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

.......प्रार्थी

बनाम

1. मनफूलसिंह पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. ओमप्रकाश पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. तुलसाराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. जगदीश पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. आशा बाई पुत्री मंगलाराम जाति नायक निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

......अप्रार्थीगण

7. देवली पुत्री चौथूराम जाति नायक निवासी 2 पी जी एम तहसील व जिला अनूपगढ।
8. लालचन्द पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. भंवरी देवी पुत्री भीखाराम जाति नायक निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. राजो बाई पुत्री सुरजाराम जाति नायक निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. उतमी पत्नी सुरजाराम जाति नायक निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. चिमनलाल पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. देवी पत्नी भीखाराम जाति नायक निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. बनवारीलाल पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

......**तकमिलन अप्रार्थीगण**

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रार्थी)
श्री राजेश गुम्बर (अप्रार्थीगण 01, 04)

दिनांकः– 02 जून, 2025

–निर्णय–

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किए कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। प्रार्थी के दादा चौथूराम पुत्र गंगाराम को भारत सरकार द्वारा चक 4 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगागनर के मु. न. 35 में 25 बीघा रकबा अलांट किया गया था तथा भारत सरकार व अलाटी के बीच में 1961 में जो इकरारनामा किया गया वह प्रार्थी के दादा के नाम किया गया था इसकी तमाम किश्ते प्रार्थी के दादा द्वारा जमा करवाई तथा जमीन का कब्जा भी चौथुराम के परिवार के पास था। वर्तमान में चौथूराम स्वय जीवनी पत्नी, भीखाराम (लड़का), देवली (लड़की), सुरजाराम (लड़का) उपरोक्त 5 जीवों के आधार पर रकबा अलाट किया गया था जैसा कि भारत सरकार द्वारा तैय किया गया कि जिस परिवार में 3 सदस्य हो उन्हे 12 बीघा व जिस परिवार में 3 से 5 सदस्य उन्हे 25 बीघा रकबा तथा जिस परिवार में 5 से ऊपर सदस्य हो तो उन्हे 37 बीघा रकबा अलाट किया गया था। प्रार्थी के दादा चौथूराम का भाई मंगलाराम पहले प्रार्थी के दादा के साथ में था बाद में उसके परिवार के मंगलाराम व उसकी माता नानूदेवी पत्नी गंगाराम, गंगी पत्नी मंगलाराम, कुल 3 सदस्य थे जिन्हे भारत सरकार द्वारा चक 3 बी एन डब्ल्यू में अलग रकबा अलांट किया गया। प्रार्थी के दादा चौथूराम पुत्र गंगाराम के परिवार में 5 सदस्य चौथुराम स्वय, जीवनी पत्नी, भीखाराम (लड़का) देवली (लड़की) सुरजाराम (लड़का)

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उपरोक्त 5 जीवों आधार पर चक 4 डी बड़ी मु. न. 35 में 25 बीघा रकबा अलॉट किया गया तथा सन् 1961 में भारत सरकार द्वारा इकरारनामा चौथुराम के साथ किया गया तथा 25 बीघा की तमाम किश्ते चौथुराम के नाम से जमा करवाई गई तथा मंगलाराम को 12.10 बीघा रकबा चक 6 बी एन डब्लू में रकबा अलॉट किया गया जिसका नोट अलॉटमेंट रजिस्टर में अंकित है क्योंकि चौथुराम का भी स्वर्गवास हो गया है चौथुराम की पत्नी जीवनी का भी स्वर्गवास हो गया है तथा भीखाराम, देवी, मुरजाराम का भी स्वर्गवास हो गया है।जब पाकिस्तान से चौथुराम, मंगलाराम व उनका परिवार इकट्ठा होकर आया था इकट्ठा परिवार आने के बाद अलाटमेंट रजिस्टर में दोनों परिवार का नाम दर्ज हो गया था लेकिन बाद में मंगलाराम को अलग अलाटमेंट होने के कारण उसका परिवार अलग हो गया था लेकिन चौथुराम द्वारा तमाम रकम जमा करवाने के बाद विभाग की गलती की वजह से सनद में मंगलाराम, नानू, गंगा का नाम भी दर्ज हो गया जिसकी प्रार्थी को जानकारी नहीं थी क्योंकि सनद विभाग द्वारा दिनांक 30.09.2012 को जारी की गई थी सनद के आधार पर जमाबंदी में नोट अंकित किया गया जिसमें मंगलाराम, नानू व गंगा का नाम भी दर्ज कर दिया गया जबकि इन तीनों को अलग रकबा 12.10 बीघा मिल गया था जो इनके द्वारा आगे बेचान कर दिया गया है जबकि अप्रार्थीगण 01 ता 05 को अलग भूमि प्राप्त कर ली है तो कानून अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 का प्रार्थी की भूमि में कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि प्रार्थी को सनद जारी होने का पता दिनांक 15.01.2023 को चला तो प्रार्थी ने सनद के खिलाफ अपील कि मगर वह अपील समय मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गई। जो राजस्व रिकार्ड में रकबा अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 के माता व पिता के नाम जो दर्ज किया गया है वह कानून गलत है क्योंकि जब का उनको आवंटन नहीं है तो उनके द्वारा इस जमीन के बदले में अन्य रकबा प्राप्त कर लिया है तथा इस रकबा का अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 का रकबा प्राप्त कर लिया है तथा इस रकबा का अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 के नाम दर्ज किया गया है वह प्रार्थी के अधिकारों पर शून्य व बेअसर है। प्रार्थी के दादा को उपरोक्त रकबा सन् 1951 में अलॉट किया गया था तबसे लेकर उपरोक्त रकबा पहले प्रार्थी के दादा के पास था। प्रार्थी के दादा के मरने के बाद प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 07 से 14 के पास कब्जा चला आ रहा है तथा कभी भी कब्जा अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 के पिता व माता के पास नहीं रहा तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 के पास इस जमीन का कब्जा रहा वर्तमान में भी प्रार्थी ने जमीन पर फसल काश्त कर रखी है तथा खेत में ट्यूबैल भी लगा हुआ है जिस पर प्रार्थी ने लाखों रुपये खर्च किया है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 का इस जमीन में किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार नहीं है उनका चक 4 डी बड़ी मु.न. 35 में 25 बीघा भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है उनके द्वारा गलत तथ्य तथा राजस्व रिकार्ड में गलत तथ्य प्रस्तुत करके राजस्व रिकार्ड में रकबा दर्ज हो गया है जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 के पिता माता व दादी का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमबन्द करके प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 07 ता 14 के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है क्योंकि 25 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 07 ता 14 के नाम खातेदारी करवाने का हकदार व अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार मौखिक रूप से अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 को कहा कि आपके द्वारा आपके परिवार की जमीन प्राप्त कर ली है अब हमारी जमीन पर आपका नाम जो दर्ज किया गया है उसका नाम कलमबन्द करके प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 07 ता 14 का नाम दर्ज करवा देवे मगर अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 द्वारा आज तक प्रार्थी के नाम रकबा [illegible] जबकि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 07 ता 14 अपने नाम करवाने के [illegible] अब अप्रार्थीगण 01 ता 05 के मन में बदनीति आ गई है इस [illegible] पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है तथा रकबा [illegible] है यदि उन्होंने ऐसा किया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा अप्रार्थी[illegible] बार-बार धमकी दे रहे है कि हम जमीन को आगे बेचान कर देंगे अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो दावे का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी की फसल काश्त की हुई है अप्रार्थीगण प्रार्थी की फसल को नष्ट करके प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरदस्ती काबिज होना चाहते है यदि वह अपने इस मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:03 IST
Reason: SelfAttested

वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी तथा आईदा मुकदमा बाजी बढेगी, इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व जरूरी है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है जो कि पूर्ण न्यायशुल्क पर अंदर मियाद है। लिहाजा स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के नाम चक 4 डी बड़ी मु.न. 35 में 25 बीघा रकबा को अप्रार्थीगण रहन-बैय व मुंतकिल करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत मुझ प्रार्थी के पक्ष में ही प्रदान की जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER RRT 2003(1) Page No. 513, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(1) DNJ (Rev.) 694 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 997, प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 व 04 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ जवाब बहस में कथन किए कि यह कि वादी के दादा चोथूराम पुत्र गंगाराम को भारत सरकार द्वारा चक 4 डी बड़ी मुरब्बा नम्बर- 35 में 25 बीघा भूमि अलाट की गयी थी। अलाट होने के बाद राजस्व रिकार्ड में रकबा चोथूराम के नाम दर्ज किया गया। बवक्त अलाटमेन्ट में चोथूराम खुद, जीवनी पत्नी, भीखाराम (लड़का), देवी (लड़की), सुरजाराम (लड़का) उपरोक्त 5 जीवों के आधार पर रकबा अलाट किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत चोथूराम के लड़के व लड़कियों का हक व अधिकार है तथा चोथूराम के भाई मंगलाराम को कोई अधिकार नहीं है। जब प्रथम श्रेणी के वारिस जीवित हो तो द्वितीय श्रेणी के वारिसान को कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। जहां तक सनद जारी होने का सवाल है सनद अलाटी के नाम जारी की जाती है। सनद में जो नाम दर्ज किये जाते है उनका भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं होता। इस सनद में राजस्व मण्डल द्वारा आरआरडी 1990 पेज नम्बर- 612 तथा विकली नोट लॉ 1970 पेज नम्बर- 12, डीएनजे 2014 पेज नम्बर- 283 में निर्णय पारित किया है कि भूमि का मालिक हैड ऑफ फैमिली मैम्बर होता है। अप्रार्थी द्वारा यह कहना कि वादी ने तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है जो सरासर गलत है। वादी द्वारा कोई तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत नहीं किया है। वादी को वाद लाने का पूरा अधिकार है। वादी का दावा घोषणा का है जिसे सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है जो वाद प्रस्तत किया गया है वह बिल्कुल सही किया गया है। सनद के खिलाफ अपील की थी केवल मियाद का आधार मानकर खारिज की गयी है उसका इस दावे पर कोई प्रभाव नहीं है। वाद सुनने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को है। अप्रार्थीगण को दावे के सम्बन्ध में कोई ऐतराज है तो वह अपना जवाब दावा में पेश कर सकता है इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य नहीं है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 04 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2018 डीएनजे रेवेन्यू पेज 31, 2008 डीएनजे राजस्थान हाईकोर्ट पेज 396, 2020 आरबीजे पेज 8, 2017 आरआरटी पेज 991, 2023 (2) आरआरटी पेज 938, 2021(1) रेवेन्यु पेज 365, 2021 डीएनजे (1) रेवेन्यू पेज 113, 2020 डीएनजे रेवेन्यू पेज 118 प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया [illegible] अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना प[illegible] सुस्थापित बिन्दुओ, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा [illegible] क्षति पर विचारण करना होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीगण 01 ता 05 के पिता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण के पिता प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है एवं प्रार्थी/वादी द्वारा कृषि भूमि के कब्जा से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे कि प्रार्थी के प्रश्नगत आराजी पर हक व अधिकार साबित हो एवं अप्राथीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2020 RBJ 8 के आलोक में स्पष्ट है कि "स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश

सिर्फ टीनेन्ट के पक्ष में पारित किया जा सकता है। अतिक्रमी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।" अतः यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा सनद दिनांक 30.09.2012 के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो खारिज हो चुकी है। उपरोक्त निर्णय (अपील खारिजी) बावत नजरसानी (पुर्नविलोकन) माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में दिनांक 14.11.2024 को प्रस्तुत हुआ जो कि दिनांक 24.12.2024 को खारिज किया जा चुका है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जरिये निगरानी चुनौती दी हुयी है। अतः चूंकि प्रकरण सनद दिनांक 30.09.2012 को चुनौती देने से संबंधित है और प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में अपील उपरान्त निर्णय को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जरिये निगरानी चुनौती भी दी हुयी है। अतः न्यायालय के मतानुसार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत निगरानी के विचाराधीन रहते हुये न्यायालय हाजा द्वारा अभिलिखित खातेदार को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को स्वयं के पक्ष में साबित करवाने में असफल रहें है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आटीए स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाने के कारण दिनांक 17.12.2024 को चक 4 डी बड़ी, पटवार हल्का दुल्लपुरकैरी, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/59 मुरब्बा नं. 35 की कुल 6.325 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में से 1/8 हिस्सा पर जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। मूल वाद के निस्तारण तक विविध पत्रावली संख्या 062/2024 मूल वाद संख्या 084/2024 के साथ नत्थी रहे। निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट / नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:03 IST
Reason: SelfAttested